

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/प-2/1/4/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021-22/4361

दिनांक: 05/03/2022

-: आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.7(3)राज-1/2019 दिनांक 05.03.2022 के कम में राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4220 दिनांक 05.03.22 में आंशिक संशोधन कर निम्नांकित भू-अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर वरिष्ठता के आधार पर स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन पर) में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर एतद्वारा तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	संजीव कुमार/ हनुमानसिंह क्र.सं. 99 पर अंकित	नायब तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ़ के स्थान पर नोहर जिला हनुमानगढ़	-
2	रामदेव खेरडिया/ गेंदीलाल क्र.सं. 60 पर अंकित	नायब तहसीलदार तालेडा के स्थान पर नैनवा जिला बूंदी	रिक्त पद
3	सोहन लाल/ हेमाराम	नायब तहसीलदार खींवसर जिला नागौर	रिक्त पद
4	सुभाष चन्द गुप्ता	नायब तहसीलदार आरएए भरतपुर के स्थान पर भरतपुर-प्रथम जिला भरतपुर	रिक्त पद
5	अशोक कुमार	नायब तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर	रिक्त पद
6	रामनारायण जाखड़	नायब तहसीलदार मतोड़ा जिला जोधपुर	रिक्त पद

क्र.सं. 1 पर अंकित श्री संजीव कुमार का नायब तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़ के पद पदस्थापन वर्तमान में नायब तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़ के पद पर कार्यरत श्री ओम प्रकाश के कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर अन्यत्र पदस्थापन होकर कार्यमुक्त होने के पश्चात् प्रभावी होगा।

नोट:- उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। कोई कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के गृह तहसील में पदस्थापित हो जाने पर सम्बंधित जिला कलक्टर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए तुरंत इसकी सूचना मय पुष्टियर्थ दस्तावेज के राजस्व मण्डल को देवें।

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तों के अध्यक्षीन रहेगा :-

1- स्कीनिंग समिति द्वारा उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्कीनिंग की गयी है। स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों के केवल कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा और इसके आधार पर कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।


2- कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यवधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यवधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही भू-अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

3- यह केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू-अभिलेख निरीक्षक उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4- उक्त भू-अभिलेख निरीक्षक मूल रूप से भू-अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेंगे तथा भू-अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय/अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5- कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन के उक्त आदेश को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और भू-अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भू-अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय/अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

आदेशानुसार,



(भंवर सिंह सान्धू)

निबन्धक,


राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक: सम/ 4362-4390

दिनांक: 05/03/2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 5- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
- 6- संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
- 7- जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
- 8- प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स) राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 9-
- 10- सम्बंधित
- 11- आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली।



निबन्धक,

राजस्व मण्डल राज., अजमेर